

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक 1.1...../परिपत्र नस्ती/2025,

देवास, दिनांक ..1.1../12/2025

वर्तमान में समस्त न्यायालयों के प्रकरणों के भुगतान लेन-देन जैसे कि, कोर्ट फीस, जुर्माना करना, सी.सी.डी. जमा और अन्य भुगतान/लेन-देन की प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, आपराधिक प्रकरणों में अर्थदण्ड/मुचलका की राशि पक्षकार की ओर से ऑनलाईन जमा करवाई जाकर ऑनलाईन चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के द्वारा सी.आई.एस. में Bail Module उपलब्ध कराया गया है ताकि जमानतदारों की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की जानकारी शासन के पोर्टल पर दर्ज की जा सके, इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करना आवश्यक है।

ऑनलाईन भुगतान/लेन-देन एवं पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन राशि जमा करवाई जाकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया के दौरान भविष्य में किसी भी प्रकार के फर्जी ऑनलाईन भुगतान एवं लेन-देन की किसी भी संभावना से बचने एवं उसकी रोकथाम के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाने हेतु इस परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

01- पक्षकार की ओर जैसे ही न्यायालय के समक्ष कोई ऑनलाईन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तब उसी समय संबंधित प्रवर्तन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रस्तुत चालान का मिलान संबंधित प्रकरण से कर लेवें और यह सुनिश्चित कर लेवें कि, चालान पर प्रकरण क्रमांक, आरोपी का नाम एवं पता सही लिखा है तथा जमा राशि प्रकरण में पारित निर्णय/आदेश के अनुसार संपूर्ण जमा कराई गई है। साथ ही चालान जमाकर्ता, पक्षकार या उसके अधिवक्ता की टीप एवं हस्ताक्षर भी चालान पर आवश्यक रूप से लेवें।

02- पक्षकार की ओर जैसे ही न्यायालय के समक्ष कोई ऑनलाईन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तो उसी समय संबंधित लिपिक, प्रस्तुत चालान का मिलान म.प्र. कोषालय वेबसाइट www.mptreasury.gov.in से अनिवार्य रूप से कर लेवें और चालान का मिलान कोषालय वेबसाइट से होने पर ही चालान को न्यायालय के लेखे में शामिल करें।

03- पक्षकार की ओर प्रस्तुत ऑनलाईन जमा राशि के चालान का मिलान म.प्र. कोषालय वेबसाइट www.mptreasury.gov.in से किया गया, तत्संबंधी टीप संबंधित लिपिक चालान पर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर करें और उसके पश्चात् चालान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करावें।

04- पक्षकार की ओर से किसी प्रकरण में ऑनलाईन न्याय शुल्क भुगतान किये जाने पर यह अत्यंत आवश्यक है कि, संबंधित प्रकरण में ऑनलाईन जमा न्याय शुल्क का उपभोग (consume) किया जावें और इसके लिए संबंधित लिपिक अधोलिखित नोट के अनुसार प्रक्रिया अनुसरण कर, consume online court fee का उपयोग कर प्रकरण में जमा न्याय शुल्क का उपभोग (consume) किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

22/10/24

05- उपरोक्तानुसार न्याय शुल्क को उपभोग (consume) कर लिया जाता है तो प्रस्तुत किए गए न्याय शुल्क के प्रमाण-पत्र/प्रिंट आउट पर संबंधित प्रस्तुत/प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/सी.सी.डी. नाजिर/मालखाना नाजिर एवं तलवाना लिपिक द्वारा उपभोग (consume) करने का उल्लेख fees/fine consumed लेख कर उपभोग (consume) करने की दिनांक व समय का उल्लेख करें ताकि प्रमाणीकरण की जांच उप-प्रशासनिक अधिकारी सरलता से कर सकें।

06- नजारत अनुभाग/मालखाना अनुभाग/तलवाना अनुभाग आदि में भी पक्षकार की ओर से जैसे ही ऑनलाईन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तो उसी समय संबंधित जिला नाजिर/नायब नाजिर/सी.सी.डी. नाजिर/मालखाना नाजिर/तलवाना लिपिक प्रस्तुत चालान का मिलान म.प्र. कोषालय वेबसाइट www.mptreasury.gov.in से अनिवार्य रूप से कर लेवें और चालान का मिलान कोषालय वेबसाइट से होने पर ही चालान को अनुभाग के लेखे में शामिल करें और तत्संबंधी टीप चालान पर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर करें। तत्पश्चात् संबंधित प्रभारी अधिकारी के चालान पर हस्ताक्षर करावें। साथ ही चालान जमाकर्ता की टीप एवं हस्ताक्षर भी चालान पर आवश्यक रूप से लेवें।

07- समस्त प्रवर्तन लिपिक उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले जमानतों को सी.आई.एस. के Bail Module में दर्ज करें तथा आदेश पत्रिका के हाशिए में जमानत को सी.आई.एस. के Bail Module में दर्ज करने के संबंध में टीप "Bail Mention in CIS" उल्लेख कर अपने हस्ताक्षर करें।

08- पक्षकार की ओर से प्रस्तुत जमा ऑनलाईन चालान में उक्त प्रक्रिया का पालन किये बगैर कोई ऑनलाईन चालान न्यायालय/अनुभाग के लेखों में शामिल किया जाता है और पश्चातवर्ती जांच में यदि लेखों में शामिल किये गये चालान कूटरचित/मिथ्या पाया जाता है तो इस संबंध में संबंधित प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/सी.सी.डी. नाजिर/मालखाना नाजिर एवं तलवाना लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

09- समस्त न्यायाधीशगण/प्रभारी अधिकारीगण भी यह सुनिश्चित करें कि, प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/सी.सी.डी. नाजिर/मालखाना नाजिर एवं तलवाना लिपिक के द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जावें।

10- उप-प्रशासनिक अधिकारीगण भी उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखा जांच संपादित करें और जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

11- जब तक प्रकरण नियमित मामले में दर्ज नहीं होता है अर्थात् अपराध कमांक में जब जमानत की जाती है तो उसका इंड्राज Bail Module में नहीं हो पाता है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपराध कमांक में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् संबंधित प्रवर्तन लिपिक संलग्न पत्रावली अनुसार Bail Module में जानकारी अंकित करें और इसका उल्लेख हाशिए पर करावें।

मूल
10/11/15

नोट:- ऑनलाईन कोर्ट फीस एवं चालान वेरीफिकेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त URL:-https://mphc.gov.in/eFee/district/online_fee/ एवं सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर के Home Page 172.16.180.8/digitization पर प्रदाय की गई Link का उपयोग किया जा सकता है।

—sd—
(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)

क्रमांक 4391...../परिपत्र नस्ती/2025,
प्रतिलिपि-

देवास, दिनांक 10.../12/2025

- 01- समस्त न्यायाधीश, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन संबंधित कर्मचारी से करावाया जाना सुनिश्चित करें।
- 02- प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर/अभिलेखागार/तलवाना/मालखाना अनुभाग, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 03- प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुये लेखा जांच संपादित करें एवं किसी भी प्रकार की अनिमित्यता पाये जाने पर तत्काल कार्यालय को सूचित करें।
- 04- समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/अभिलेखापाल/सहायक अभिलेखापाल/तलवाना लिपिक) देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द, की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 05- जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय देवास की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आदेश की प्रति बेवसाईट पर अपलोड करें।

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)